निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 माघ 1936 (श0)

(सं0 पटना 295) पटना, वृहस्पतिवार, 19 फरवरी 2015

गृह विभाग

अधिसूचनाएं

19 जून 2014

सं0 कारा/स्था0(कक्ष0)01–39/2011–3297––कारा अधिनियम, 1894 की धारा–59 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य के काराओं में कक्षपाल के पदों पर भर्ती एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ**।–
   - 1.1 यह नियमावली ''बिहार कक्षपाल संवर्ग नियमावली, 2014'' कही जा सकेगी।
   - 1.2 इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   - 1.3 यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।
2. **परिभाषाएँ**।– जब तक कोई बात संदर्भ में विरूद्ध न हो, इस नियमावली में–
   - (a) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
   - (b) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार;
   - (c) ''विभाग'' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट गृह विभाग;
   - (d) ''कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय'' से अभिप्रेत है महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार का कार्यालय;
   - (e) ''परीक्षा एजेंसी'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) अथवा गृह विभाग द्वारा चयनित कोई अन्य एजेंसी;
   - (f) ''संवर्गीय प्रोन्नति के पद'' से अभिप्रेत है कक्षपाल संवर्ग में सरकार द्वारा समय–समय पर नियत प्रतिशत के आधार पर एवं इस नियामवली में समुचित स्थान पर उल्लिखित वरीयता सह योग्यता के आधार पर ''उच्च कक्षपाल'' एवं ''मुख्य उच्च कक्षपाल'' के पद पर दी जाने वाली प्रोन्नति;
   - (g) इस नियमावली में प्रयुक्त सभी शब्द एवं भाव, जो इसमें परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम/बिहार कारा हस्तक में परिभाषित हैं उनका समान रुप से वही भावार्थ समझा जायेगा, जैसा कि वे परिभाषित हैं।

3. संवर्ग का गठन।–

3.1 इस संवर्ग में प्रत्येक सोपान के पदों की संख्या तथा उनकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा मंजूर/अवधारित की गई हो तथा भविष्य में सरकार द्वारा समय–समय पर मंजूर अथवा अधिसूचित की जाय।

3.2 इस संवर्ग का पद सोपान निम्नवत् होगाः–

(i) कक्षपाल

(ii) उच्च कक्षपाल

(iii) मुख्य उच्च कक्षपाल

टिप्पणी।–

3.3 उच्च कक्षपाल एवं मुख्य उच्च कक्षपाल के प्रोन्नति आधारित पद कुल स्वीकृत संवर्गीय पदबल की सीमा के अधीन होंगे अथवा समय–समय पर सरकार द्वारा जैसा कि विहित किया जाए अथवा स्वीकृत किया जाए या स्वीकृत किया गया हो।

3.4 कक्षपाल से उच्च कक्षपाल एवं उच्च कक्षपाल से मुख्य उच्च कक्षपाल के पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया वही होगी, जैसा कि समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रावधानों के आलोक में महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ द्वारा नियत किया जाए।

4. भर्ती।–

4.1 राज्य अवस्थित काराओं में समय–समय पर विहित वेतनमान पर कक्षपाल के नियमित पद पर नियुक्ति की जाएगी।

4.2 कुल पदबल के विरूद्ध 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं 25 प्रतिशत पद बिहार राज्य के प्रशिक्षित गृह रक्षकों से एवं शेष 25 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों से भरा जायेगा।

5. अर्हता।–

5.1 **शैक्षणिक अर्हता**–किसी भी राज्य शासन/केन्द्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/पर्षद से इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उतीर्ण।

5.2 **आयुः–**

5.2.1 सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा, निम्नवत् (अथवा समय–समय पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय) होगीः–

(क)	सामान्य कोटि	–	18 से 23 वर्ष
(ख)	पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	–	18 से 25 वर्ष
(ग)	महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	–	18 से 26 वर्ष
(घ)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	–	18 से 28 वर्ष

5.2.2 गृह रक्षकों से भरी जानेवाले रिक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा एवं उसमें छूट का मापदंड वही होगा जो बिहार पुलिस में ''सिपाही'' पद के लिए समय–समय पर विहित किया जाए।

5.2.3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी।

स्पष्टीकरण।–

5.3 अर्हता प्राप्त गृह रक्षकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में रिक्तियाँ उसी आरक्षण कोटि के गैर गृह रक्षक/गैर भूतपूर्व सैनिक अर्थात सीधी भर्ती के उम्मीदवारों से भरी जा सकेगी।

5.4 अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के उम्मीदवारों की गणना सामान्य कोटि के उम्मीदवार के रूप में की जायेगी एवं तदनुरूप उनके लिये आयु सीमा वही होगी जो सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए लागू होगी।

6. नियुक्ति के आधार एवं प्रक्रिया।–

6.1 कक्षपाल के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की गयी परीक्षा एवं अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

6.2 **सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया।–**

6.2.1 सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होंगेः–

(i) **प्रथम चरण**–प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की जायेगी।

(ii) **द्वितीय चरण**–परीक्षा एजेंसी द्वारा लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर प्रतिवेदित रिक्ति के पाँच गुणा अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार की जाएगी। शारीरिक जाँच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की

दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रुप से कम किया जा सकेगा। इन सभी अभ्यर्थियों की दौड़ जाँच कराई जाएगी।

(iii) **तृतीय चरण**–दौड़–जाँच में उतीर्ण होनेवाले अभ्यर्थियों की शारीरिक माप एवं जाँच कराई जायेगी। शारीरिक माप एवं जाँच में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर परीक्षा एजेंसी द्वारा इन योग्य अभ्यर्थियों में मेधावार एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों का चयन कर उसकी सूची नियुक्ति प्राधिकार को सौंप दी जाएगी।

(iv) **चतुर्थ चरण**ः–परीक्षा एजेंसी से योग्य अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के पश्चात विहित प्रावधान के अधीन गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण संचालित किया जायेगा। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा।

(v) यदि चिकित्सीय परीक्षण में कुछ अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा चिकित्सीय परीक्षण में असफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा एजेंसी से आरक्षण कोटिवार अभ्यर्थियों की मेघा सूची से नामों की अनुशंसा मांगी जाएगी तथा परीक्षा एजेंसी से ऐसी सूची प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उनकी नियुक्ति हेतु समुचित कार्रवाई की जाएगी।

6.2.2 **सीधी भर्ती हेतु चयन के लिए हेतु विहित मापदंड**।–

(i) **लिखित परीक्षा**ः–लिखित परीक्षा का स्तर एवं मापदंड वही होगा, जो बिहार पुलिस में सिपाही हेतु विहित है साथ ही लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अंक एवं मेधा सूची तैयार करने की प्रक्रिया एवं प्रावधान वही होगें, जो बिहार पुलिस में सिपाही की भर्ती हेतु लागू होंगे।

(ii) **दौड़ जाँच परीक्षा**ः– दौड़ जाँच परीक्षा का स्तर एवं मापदंड वही होगा, जो बिहार पुलिस में सिपाही हेतु विहित है।

(iii) **शारीरिक माप एवं जाँच**ः–शारीरिक माप एवं जाँच का स्तर एवं मापदंड वही होगा, जो बिहार पुलिस में सिपाही हेतु विहित है।

6.2.3 यदि परीक्षा एजेंसी के रुप में केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा परीक्षा ली जायेगी तो केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा कक्षपाल के पद हेतु परीक्षा को सिपाही के पद पर भर्ती हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षा के साथ–साथ या अलग–अलग आयोजित किया जा सकेगा।

6.3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत पदों तथा बिहार राज्य के गृह रक्षकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत पदों पर भर्ती हेतु प्रक्रिया।–

6.3.1 **लिखित परीक्षा**ः–भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत पदों तथा बिहार राज्य के गृह रक्षकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत कक्षपाल के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन परीक्षा एजेंसी द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जायेगी। लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अंक एवं मेधा सूची तैयार करने की प्रक्रिया एवं प्रावधान वही होगें, जो बिहार पुलिस में सिपाही की भर्ती हेतु लागू होंगे।

6.3.2 परीक्षा एजेंसी सीधी भर्ती के लिए अथवा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत पदों तथा बिहार राज्य के गृह रक्षकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत पदों पर भर्ती हेतु अलग–अलग अथवा एक साथ विज्ञापन निकालकर लिखित परीक्षा आयोजित कर सकेगा।

6.3.3 लिखित परीक्षा के परिणाम के पश्चात परीक्षा एजेंसी द्वारा रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार सफल अभ्यर्थियों की सूची कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय को प्रेषित कर देगा।

6.3.4 लिखित परीक्षा में सफल होनेवाले अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा तथा चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाए जानेवाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु समुचित कार्रवाई की जाएगी।

6.3.5 यदि चिकित्सीय परीक्षण में कुछ अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा चिकित्सीय परीक्षण में असफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार आरक्षण कोटिवार अभ्यर्थियों की मेघा सूची से परीक्षा एजेंसी से अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा मांगी जाएगी तथा परीक्षा एजेंसी से ऐसी सूची प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा समुचित कार्रवाई की जा सकेगी।

6.4 चिकित्सकीय परीक्षण।– चिकित्सकीय परीक्षा निम्नलिखित मानक के आधार पर करायी जायेगी :–

(i) उम्मीदवार को घुटने जुड़ना (नॉकिंग नी) एवं चपटे तलवे (फ्लैट फुट) की लक्षण नहीं होनी चाहिए।

(ii) उम्मीदवार सामान्य रुप से सुन सके एवं श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) का प्रयोग करने की बाध्यता न हो।

(iii) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया/हाईड्रोसिल हो तो शल्य चिकित्सा के पश्चात ही उनकी उम्मीदवारी योग्य समझी जाएगी।

(iv) उम्मीदवारों को आँखों की कोई गंभीर बीमारी न हो। नेत्रों की दृष्टि चश्मा सहित या चश्मा रहित 6/6 होनी चाहिए रात्रि अंधता या वर्णाध (कलर ब्लाईन्डनेस) नहीं होनी चाहिए।''

7. **आरक्षण**।– बिहार राज्य आरक्षण अधिनियम के समय–समय पर लागू प्रावधान इन सभी भर्तियों एवं प्रोन्नतियों में लागू होंगे और इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को ही अनुज्ञेय होगा।

8. **प्रशिक्षण**।– नव नियुक्त कक्षपालों के लिए तीन माह का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षण कारा प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रीय कारा/मंडल कारा में अथवा नियुक्ति प्राधिकार के निर्णयानुसार किसी अन्य संस्थान में संचालित किया जायेगा।

9. **परिवीक्षा अवधि**।– इस पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से नवनियुक्त कर्मियों के लिये परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। वर्द्धित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर पदधारी सेवा से हटाया जा सकेगा।

10. **सम्पुष्टि**।– महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार द्वारा परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण होने एवं विभागीय परीक्षा में सफल होने के उपरांत सेवा संपुष्ट की जायेगी।

11. **वेतनमान**।– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संवर्ग के अनुरूप यथा अधिसूचित विहित वेतनमान एवं तदनुसार अन्य भत्ते अनुमान्य होंगे।

12. **वरीयता**।–

12.1 वरीयता परीक्षा एजेंसी द्वारा निर्गत मेधा सूची के आधार पर नियत की जायेगी।

12.2 पूर्व से नियुक्त कक्षपालों की वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित किये गये प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

13. **अनुशासन, अपील एवं शास्तियाँ**।–इस संवर्ग के सभी सदस्यों पर बिहार कारा हस्तक, 2012 के प्रावधान लागू होंगे। परन्तु, जिसके संबंध में बिहार कारा हस्तक, 2012 में यदि उल्लेख नहीं हो, वहाँ, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधान लागू होंगे।

14. **निरसन एवं व्यावृति**।–

14.1 इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के प्रभाव से कक्षपाल संवर्ग एवं पद हेतु पूर्व में अधिसूचित एवं लागू सभी नियम/संकल्प/परिपत्र/ आदेश निरसित समझे जायेंगे।

14.2 ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावलियों/संकल्प/परिपत्र एवं आदेश द्वारा प्रदत्त अथवा के अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानों जब कार्य किया गया था या कार्रवाई की गयी थी उस दिन यह नियमावली प्रवर्तन में थी।

14.3 इस नियमावली के किसी भी प्रावधान या नियम को लागू करने के संबंध में उद्भूत किसी कठिनाई को दूर करने की शक्ति सरकार के अनुमोदन से कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय को होगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)।

The 19th June 2014

No. Jail/Estab.(warder)01-39/2011-3297—In exercise of powers conferred by Section 59 of Prison Act, 1894 Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate appointment and service condition of Warder in Prisons of the State.

1. **Short title, extent and commencement :-**These rules shall be called the Bihar Warder Cadre Rules, 2014.

1.1. It shall extend to the whole of the State of Bihar.

1.2. It shall come into force with immediate effect.

2. **Definitions** :- In these Rules , unless the context otherwise requires:-

(a) 'Government' means the Bihar Government;

(b) 'Appointing Authority' means Inspector General, Prison and Correctional Services, Bihar;

(c) 'Department' means Home Department as described in Rules of Executive Business;

(d) 'Inspectorate of Prison and Correctional Services' means office of the Inspector General, Prison and Correctional Services, Bihar;

(e) 'Examination Agency' means Central Selection Board (Police Recruitment) or any other Agency selected by the Home Department;

(f) 'Cadre Promotion' means promotion given in the cadre of warder to the post of Head Warder and Chief Head Warder on the basis of seniority- cum-merit and on the basis of specified percentage, as fixed by the Government from time to time and as mentioned in these Rules at proper place;

(g) All words and expressions used in these Rules and not defined therein but defined in the Act/Bihar Jail Manual shall respectively have the same meaning as one assigned to them.

3. Constitution of Cadre:-

3.1 In this Cadre, the number of post of each stage of hierarchy and total number of posts of the cadre shall be as that has been sanctioned or notified by the Government, and as that may be notified by the Government from time to time in the future.

3.2 The hierarchy of this cadre shall be as follows-

(i) Warder

(ii) Head Warder

(iii) Chief Head Warder

Note-

3.3 Promotion based post of Head Warder and Chief Head Warder shall be within total Cadre strength or as may be recommended and sanctioned or may have been sanctioned.

3.4 The process for promotion to Head Warder from Warder and to Chief Head Warder from Head Warder shall be that as may be laid down by Inspector General, Prisons and Correctional Services in the light of prescribed provisions of the General Administrative Department from time to time.

4. Recruitment:-

4.1 Appointment shall be made on regular posts of Warder in Prisons situated in the State, in pay scale, as prescribed from time to time.

4.2 There shall be Direct Recruitment on 50 percent of total posts; and 25 percent posts shall be filled by trained Home Guards of the State and the rest 25 percent shall be filled by Ex-servicemen.

5. Qualification:-

5.1. Educational Qualification:- Intermediate(10+2) or equivalent examination passed from any Board/ Council recognized by any State/Central Government.

5.2. **Age:-**

5.2.1. The age limit for direct recruitment shall be as following (or as prescribed from time to time by the State Government):-

A.	General Category	- 18 to 23 years
B.	Backward Class/most B.C.	- 18 to 25 years
C.	Women (unreserved, Backward and most Backward class)	- 18 to 26 years
D.	Scheduled Caste /Tribe (Men and Women)	- 18 to 28 years

5.2.2. The maximum age limit fixed for vacancies to be filled by home guards and the criteria of relaxation will be the same as prescribed for 'constable' in Bihar Police from time to time.

5.2.3. The maximum age limit for ex-serviceman will be of 45 years.

Explanation :-

5.3. In case of unavailability of qualified Home Guards and Ex-servicemen, vacancy shall be filled by Non-Home Guard/ Non-Ex-Serviceman candidates of the same reservation category through direct recruitment.

5.4. Candidates of reserved category belonging to other States shall be treated as candidates of General Category, and accordingly, age limit of such candidates shall be the same as prescribed for General Candidates.

6. Mode and Procedure of Appointment.

6.1. Fifty percent of posts of Warder as created and sanctioned by the State Government from time to time shall be filled by Direct Recruitment.

6.2. **Procedure of Direct Recruitment –**

6.2.1. There shall be following stages for the process of Direct Recruitment:-

(i) **First stage**–A written examination shall be conducted for candidates, on the basis of received applications by the Examination Agency.

(ii) **Second stage**–The Examination Agency shall prepare a list of candidates, five times the number of reported vacancy on the basis of written examination. In case of unavailability of sufficient number of qualified candidates for medical test, the ratio of candidates may properly be reduced. All such candidates shall have to undergo for a race.

(iii) **Third stage**-Candidates qualified in race, a physical measurement and test shall be followed. On the basis of list of candidates found fit in physical measurement and test, the merit wise and reservation category wise list of candidates equal to the number of vacancies selected by the Examination Agency from the qualified candidates shall be provided to the Appointing Authority.

(iv) **Fourth stage**- A medical test shall be conducted by a Medical Board constituted under prescribed provisions after receiving the list of qualified candidates from the Examination Agency. It will be mandatory for candidates to be found fit in medical examination for appointment.

(v) If some of the candidates do not succeed in the medical test, then the Examination Agency will be asked to recommend names of candidates from the merit list, reservation category wise, against the number of unsuccessful candidates in the medical test by the appointing authority; and proper action shall be taken by the appointing authority after getting such a list.

6.2.2. **Prescribed Criteria for selection through Direct Recruitment:-**

(i) **Written examination**- The criteria and standard of written examination shall be same as prescribed for Constable in Bihar Police. Besides, minimum marks for written

examination and process and provisions for preparing the merit list will be same as applicable for recruitment of constable in Bihar Police.

(ii) **Race**- The criteria and standard of race examination shall be same as prescribed for constable in Bihar Police.

(iii) **Physical measurement and test-** The criteria and standard of physical measurement and test shall be same as prescribed for constable in Bihar Police.

6.2.3 If the examination is conducted by Central Selection Board (Police recruitment) then examination for appointment to the post of Warder may be either conducted jointly with the examination for the appointment to the post of Constable or conducted separately**.**

6.3 **Procedure of Appointment on 25 per cent reserved post of for Home Guards and 25 percent reserved posts for Ex-servicemen-**

6.3.1 **Written examination-** Applications shall be invited by the Examination Agency for appointment against 25 percent reserved post for Ex-servicemen and 25 percent reserved post for Home Guards of the State of Bihar. A written examination will be conducted on the basis of application. Minimum marks for written examination and process and provisions for preparing the merit list will be same as applicable for recruitment of constable in Bihar Police.

6.3.2 The Examination Agency may conduct examinations for appointment through direct recruitment and for appointment on 25 percent post reserved for ex-servicemen and 25percent post reserved for Home Guards of Bihar State, either jointly or separately.

6.3.3 After the result of the written examination, the Examination Agency shall send the list of successful candidates on the basis of reservation category to Inspectorate of Prisons and Correctional Services.

6.3.4 A medical test shall be conducted for candidates successful in the written test and proper action for appointment of such eligible candidates will be taken.

6.3.5 If some of candidates so not succeed in the medical test, then the examination agency will be asked to recommend names of candidates from the merit list reservation category wise against the number of unsuccessful candidates in the medical test by the appointing authority; and proper action shall be taken by the appointing authority after getting such a list.

6.4 **Medical Examination–**A medical examination shall be conducted according to following parameters -

(i) Candidates, shall not have a knocking knee and a sign of flat foot.

(ii) Candidates should be able to listen normally and he should not have a compulsion of using a hearing aid.

(iii) It a candidate has hernia/hydrocil, then he may be eligible for candidature only after surgery.

(iv) Candidates should not suffer from any serious ocular disease. They should possess an eye sight of 6/6 with or without glasses. They should not suffer from night blindness or colour blindness.

7. **Reservation:-** The provisions of Bihar State Reservation Act as in force from time to time shall be applicable in all these appointments and promotions, and its benefits shall be applicable to permanent domicile of the state of Bihar only.

8. **Training**:- A three month training shall be compulsory for newly recruited warders. This training shall be carried out in Jail Training Institute/Central Jail/District jail.

9. **Probation period-** There shall be a probation period of two years for newly appointed employees from the date of first appointment to the post. If service in the probation period is not found satisfactory, the probation period shall be liable to extend for one year. The post holder may be removed from service if his service is not found satisfactory even during the extended period.

10. **Confirmation-** The service will be confirmed by the Inspector General, Prisons and Correctional Services, Bihar after completing satisfactory probation period and passing departmental examination.

11. **Pay Scale**- Pay scale and allowances as prescribed by the State Government from time to time shall be applicable to the cadre.

12. **Seniority**-

12.1 Seniority shall be fixed according to merit list issued by the examination agency.

12.2 Seniority of previously appointed warders shall be decided according to provisions prescribed by General Administration Department.

13. **Discipline, Appeal and Punishments-** The provisions of Bihar Jail Manual, 2012 shall be applicable to all members of this Cadre. But those provisions which are not mentioned in Bihar Jail Manual, 2012, the provisions of Bihar Government Employee (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 shall be applicable to all members of this Cadre.

14. **Savings and Repeal-**

14.1 All notified and enforced rules/resolutions /circulars/ orders shall be deemed to be repealed from the date of commencement of these Rules in regard to cadre of warder.

14.2 Not withstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of the power inferred by order under the said rules/ resolutions /circulars /order shall deemed to be taken under these rules as if these rules were in operation on the day when such thing was done, or such action was taken.

14.3 Power of removing any difficulty arising out of enforcing any provision or rule of these rules shall vest in the Inspectorate of Prisons and Correctional Services by the order of the Government of Bihar.

By Order of the Governor of Bihar,
Sd./Illegible,
Additional Secretary-cum-Director (admin).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 295-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in